http://www.amarujala.com/news/city/lakhimpur-kheri/Lakhimpur-105522-121/

किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हुआ जरूरी

लखीमपुर खीरी।

बुधवार, 5 नवंबर 2014

कृषि विभाग की योजनाओं का मिलेगा लाभ
मजदूर भी करा सकेंगे आनलाइन पंजीकरण
कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब किसानों और मजदूरों को भी हाइटेक होना पड़ेगा। कृषि के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग योजना के तहत किसानों/मजदूरों के लिए आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए टोल फ्री नंबर या वेबसाइट की मदद ली जा सकेगी। पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आईडी कार्ड, खतौनी (मजदूरों के लिए नहीं) और बैंक पासबुक की छाया प्रति भी देनी होगी।
पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज के तौर पर लाभार्थी की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट में से कोई एक, भूमि की पहचान के लिए खतौनी, खाते में सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बैंक पासबुक का प्रथम पेज की छाया प्रति लगानी होगी। टोल फ्री नंबर 1800-200-1050 पर मिस्डकाल देकर नि:शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे विकल्प के तौर पर कृषि विभाग की वेबसाइट एग्रीकल्चर.यूपी.एनआईसी.इन पर आनलाइन आवेदन करके पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के उपरांत सात दिन के अंदर आवेदन पत्र संबंधित ब्लाक के राजकीय कृषि बीज भंडार या उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय या उप कृषि निदेशक कार्यालय में फार्म जमा कर सकते हैं।

पंजीकरण संख्या अंकित करना अनिवार्य

आवेदन पत्र पर संलग्नक अभिलेखों पर आनलाइन पंजीकरण से प्राप्त संख्या को अंकित किया जाना अनिवार्य है। आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
-डॉ. शिवकुमार केसरी, उप कृषि निदेशक